FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0294 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 13/11/2025 18:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 11/11/2025 Date To (दिनांक तक): 11/11/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:15 बजे Time To (समय तक): 15:45 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/11/2025 Time (समय): 12:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date & Time (दिनांक एवं समय) 13/11/2025 18:43:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 3 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

      (b)Address(पता): KARALAYA UP PARIYOJANA NIDESHAK/AATMA KARSHI VIBHAG, SAWAIMADHOPU

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAMULAL GUPTA

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHIVCHARAN LAL GUPTA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1980 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	UDAI MOD, GANGAPURCITY, UDAI MOD, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	UDAI MOD, GANGAPURCITY, UDAI MOD, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANUPAM GOYAL		पिता:CHATURBHUJ GOYAL	1. KISHAN NAGAR HINDAUN CITY,HINDAUN,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं रामूलाल गुप्ता (रामू गोयल) पुत्र श्री शिवचरण लाल गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी उदेई मोड गंगापुर सिटी का निवासी हूँ। हमारी फर्म जय हनुमान ट्रेडर्स C/O रामूलाल गुप्ता मिल्क डेयरी के पास स्थित है। यह फर्म मेरी माताजी श्रीमति रामेश्वरी देवी के नाम पर है, हमारी दुकान का निरीक्षण 31.10.2025 को श्री अनुपम गोयल उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर व गोपाल शर्मा A.D. के द्वारा किया गया, जिसमें कई कमिया निकाली गयी, जिनके सम्बन्ध में हमारी फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का निस्तारण करने के लिये मैं कल दिनांक 10.11.2025 को गोपाल शर्मा A.D. से मिला तो उन्होने मेरे सामने अनुपम गोयल से हमारी फर्म को जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित करने के लिये जरिये मोबाईल बातचीत कर कहा कि अनुपम गोयल आपके नोटिस को निस्तारित करने के लिये दस हजार रूपये मांग रहे है और आपको मिलने के लिये सवाई माधोपुर में स्थित कार्यालय में बुलाया है। आप जाकर उनसे मिल लेना। मैं गोपाल शर्मा A.D. को पूर्व में 5,000/- रूपये दे चुका हूँ। अब मैं अनुपम गोयल को 10,000/- रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता, बल्कि रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी अनुपम गोयल से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई रूपये पैसे का लेन देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से रिष्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- रामूलाल गुप्ता (रामू गोयल) पुत्र श्री शिवचरण लाल गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी उदेई मोड गंगापुर सिटी मो. नं. [redacted], दिनांक- 11.11.25 हस्ता. ज्ञान सिंह चैधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सवाई माधोपुर दिनांक 11.11.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह-अभिषेक मीणा व यशवन्त सिंह दिनांक 11.11.2025, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर 1064 पर शिकायतकर्ता परिवादी रामूलाल गुप्ता पुत्र शिवचरण लाल गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी उदेई मोड गंगापुर सिटी, ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चैधरी से सम्पर्क उपरान्त आज दिनांक 11.11.2025 को समय 10.15 ए.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चैकी सवाई माधोपुर पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर के पदनाम से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की। परिवादी की उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद अवलोकन कार्यवाही करते हुये परिवादी से लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का पढालिखा होना तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि- मैं रामूलाल गुप्ता (रामू गोयल) पुत्र श्री शिवचरण लाल गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी उदेई मोड गंगापुर सिटी का निवासी हूँ। हमारी फर्म जय हनुमान ट्रेडर्स C/O रामूलाल गुप्ता मिल्क डेयरी के पास स्थित है। यह फर्म मेरी माताजी श्रीमति रामेश्वरी देवी के नाम पर है, हमारी दुकान का निरीक्षण 31.10.2025 को श्री अनुपम गोयल उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर व गोपाल शर्मा A.D. के द्वारा किया गया, जिसमें कई कमिया निकाली गयी, जिनके सम्बन्ध में हमारी फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का निस्तारण करने के लिये मैं कल दिनांक 10.11.2025 को गोपाल शर्मा A.D. से मिला तो उन्होने मेरे सामने अनुपम गोयल से हमारी फर्म को जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित करने के लिये जरिये मोबाईल बातचीत कर कहा कि अनुपम गोयल आपके नोटिस को निस्तारित करने के लिये दस हजार रूपये मांग रहे है और आपको मिलने के लिये सवाई माधोपुर में स्थित कार्यालय में बुलाया है। आप जाकर उनसे मिल लेना। मैं गोपाल शर्मा A.D. को पूर्व में 5,000/- रूपये दे चुका हूँ। अब मैं अनुपम गोयल को 10,000/- रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता, बल्कि रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी अनुपम गोयल से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई रूपये पैसे का लेन देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी ने मांगने पर अपना ऐड्रेस प्रूफ बाबत आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) सवाई माधोपुर का कारण बताओं नोटिस स्वप्रमाणित प्रति पेश की, जिन्हें बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं उससे की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर श्री रामकेश कानि. 98 को तलब कर बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया एवं आपस में एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तत्पष्चात कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला को

निकालकर उसमें नया सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड डालकर खाली होना सुनिष्चत कर तथा वॉईस रिकार्डर व एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिश्चत कर परिवादी एवं श्री रामकेश कानि. 98 को चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर श्री मनोज कुमार कानि. 133 व श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर मुनासिफ हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि सवाई माधोपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता व श्री रामकेश कानि. 98 उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये एवं परिवादी ने मन अतिरिक्त को बताया कि मै व रामकेश जी कार्यालय से मोटरसाईकिल रवाना होकर हम्मीर सर्किल के पास पहुचे, जहां पर रामकेश जी ने मुझे हम्मीर ब्रीज के साईड में एकान्त स्थान पर अपने पास से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं मेरे से मेरा नाम एवं वॉईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में मेरे गले में टांग दिया व मैं व रामकेश वहां से मोटरसाईकिल से रवाना होकर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि सवाई माधोपुर पर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना कर दिया था। उसके बाद मै वॉईस रिकार्डर सहित अनुपम गोयल के पास उनके कार्यालय में चला गया तथा रामकेश जी भी अपनी मोटर साईकिल सहित कार्यालय के पास रोड के साईड में खडे हो गये। मैं अनुपम गोयल के कार्यालय में जाकर अनुपम गोयल जी के बारे में मालूमात की तो बताया कि अभी अनुपम गोयल जी आये नही है थोडी देर में आने वाले है। मैं उनके कार्यालय में ही उनके आने का इन्तजार करने लग गया। इसके बाद करीबन 20-25 मिनट बाद अनुपम गोयल जी कार्यालय में आ गये। इसके बाद मैं अनुपम गोयल जी के पास उनके कार्यालय कक्ष कमरा नम्बर 03 में चला गया, जहां पर बैठे हुये थे। जहां पर मैने अनुपम गोयल जी से हमारी फर्म को जारी कारण बताओं नोटिस को निस्तारित करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो अनुपम गोयल जी ने मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। इसके बाद मैने दस हजार की व्यवस्था करने के लिये उनसे थोडा समय मांगा। इसके पश्चात मैं बातचीत करने के बाद मै कार्यालय से बाहर आकर रामकेश जी के पास आ गया। जहां पर मैंने अपने पास से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकालकर रामकेश जी को दिया जो चालू हालत में था जिसे रामकेश जी ने लेकर बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैं और रामकेश जी वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा बताये कथनों के सम्बन्ध में रामकेश कानि. से पूछा तो रामकेश कानि. ने परिवादी रामूलाल गुप्ता की बातों को सही होना बताया। इस पर रामकेश कानि. 98 से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित गवाह श्री मनोज कुमार कानि. व राजवीर सिंह कानि0 के सामने जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी अनुपम गोयल द्वारा परिवादी से उसकी फर्म को जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित करने बदले में 10,000/- रूपये रिश्वत राषि की मांग करना स्पष्ट पाया गया है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी रामूलाल गुप्ता से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो स्वंय के पास रखी होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात समय 01.45 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मनोज कानि. चालक 647 को सरकारी वाहन से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर रवाना किया गया जो समय 02.05 पीएम पर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर से दो कार्मिक श्री अभिषेक मीना वरिष्ठ सहायक व श्री यशवन्त सिंह कनिष्ठ सहायक को मय पाबन्दी तहरीर सहित साथ लेकर आया, जिन्हें मुझसे मिलाया, जिस पर मैने उपस्थित कार्मिकों से उनके नाम पते पूछे तो उन्होने अपने नाम पते क्रमषः अभिषेक मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी मीणा कॉलोनी पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर (मो0 नम्बर-[redacted]) एवं यशवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी कुस्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर (मो0 नं0 [redacted]) होना बताया, जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की स्वीकृति चाही तो दोनो ने अपनी अपनी स्वयं की स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी, तत्पष्चात दोनो गवाहों का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये तथा स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। इसके पश्चात समय 02.15 पी.एम पर इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिषेक मीना वरिष्ठ सहायक व श्री यशवन्त सिंह कनिष्ठ सहायक के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता को संदिग्ध आरोपी अनुपम गोयल को रिष्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/-रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये

(भारतीय चलन मुद्रा) के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेष किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. चालक 647 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री मनोज कुमार कानि. चालक से एक साफ अखबार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कक्ष में रखी साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 10,000/-रूपये के नोटो पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मीणा से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया, इसके बाद श्री मनोज कुमार कानि. चालक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी अनुपम गोयल को दिये जाने के लिये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उसको देवे तथा आरोपी उक्त रिश्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी अनुपम गोयल द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर बाहर आकर मौका स्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के या रामकेश कानि. के मोबाईल पर मिसकॉल कर ईशारा करे, साथ ही दोनों गवाहों को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री यशवन्त सिंह से कार्यालय में से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि0 133 से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री यशवन्त सिंह से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिसे हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. चालक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री मनोज कुमार कानि. चालक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री यशवन्त सिंह के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री मनोज कुमार कानि. चालक से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा मनोज कुमार कानि चालक के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा तथा ट्रेप बॉक्स में खाली नई कपडे की थैलिया, सील चपडी, मोमबत्ती, सुई धागा, नमूना सील एवं नये खाली पैन्ड्राईव कवरों/डीवीडी सहित रखवाये गये। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाषी लिवाई गई जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी अनुपम गोयल से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व से रखे डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को निकालकर कर चैक किया गया तो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड जिसमें आज दिनांक 11.11.2025 को परिवादी व संदिग्ध आरोपी अनुपम गोयल के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता रिकॉर्ड है, को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया एवं श्री रामकेश कानि. को मौका स्थिति अनुसार उक्त वॉईस रिकार्डर परिवादी के आरोपी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। इसके बाद कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता व श्री रामकेश कानि. 98 को मोटरसाईकिल से बाद हिदायत आगे आगे रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री मनोज कुमार कानि. 133 को स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मीणा वरिष्ठ सहायक व श्री यशवन्त सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को मय सरकारी बीडीयों कैमरा/सरकारी मोबाईल सहित मय ट्रेप बॉक्स एवं लेपटोप मय

प्रिन्टर आदि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन के लेकर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि सवाई माधोपुर के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. चालक 647 बाद हिदायत छोडा गया। तत्पश्चात समय 03.15 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व स्टाफ मय परिवादी रामूलाल गुप्ता के जरिये प्राईवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा हम्मीर सर्किल के पास हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, जहां पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्ड में डले एसडी कार्ड को रामकेश कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता के अनुसरण में रिश्वत राशि देने हेतु आरोपी अनुपम गोयल के पास कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि सवाई माधोपुर रवाना किया गया। परिवादी कार्यालय के अन्दर चला गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान स्टाफ सहित उक्त कार्यालय के आस-पास परिवादी के नियत ईशारे के इन्तजार में मुकीम हो गये। इसके बाद समय 03.30 पीएम पर दोनो गवाहों के सामने परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता ने कार्यालय उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर के गेट के पास सिडीयों से पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास उक्त कार्यालय में पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पष्चात् परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि उक्त गेट के सामने बने कमरे के पास वाला कमरा नं. 02 कम्प्यूटर कक्ष में कुर्सी पर बैठे काली स्वटर पहने व मफलर गले में डाले व्यक्ति ही अनुपम गोयल, उप परियोजना निदेशक (आत्मा) कृषि विभाग सवाई माधोपुर है। जिसने अभी-अभी थोडी देर पहले मुझसे उक्त कार्यालय के कमरा नम्बर 03 उप. परियोजना निदेशक प्रथम में 10,000/- रुपयें मांगकर दाहिने हाथ में लेकर दोनों हाथों से गिनकर स्वयं के कक्ष में लगी टेबिल की ड्रोवर में रख लिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहन व स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर हमराह परिवादी के उक्त कार्यालय के मैन गेट से होकर अन्दर प्रवेश कर तथा कार्यवाही की सरकारी मोबाईल से श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को विडियोग्राफी करने की हिदायत देते हुये अन्दर पहुचां तो कार्यालय उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर के कमरा नम्बर 02 कम्प्यूटर कक्ष में कुर्सी टेबल डाले कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति मिला। जिसको परिवादी के बताये अनुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अनुपम गोयल, उप परियोजना निदेशक (आत्मा) कृषि विभाग सवाई माधोपुर होना बताया, जिससे परिवादी से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.11.2025 को 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने एवं उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 11.11.2025 को प्राप्त की गई 10,000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो रिश्वत राशि लेना स्वीकार किया तथा परिवादी रामूलाल का कार्य स्वंय के लम्बित होना बताया। इसके पश्चात आरोपी अनुपम गोयल से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10,000/- रूपये के बारे में पूछा तो अपने कार्यालय कक्ष कमरा नम्बर 03 उप. परियोजना निदेशक प्रथम में रखी टेबिल के ड्रोवर में रखी होना बताया। इसके बाद पूछने पर परिवादी रामूलाल गुप्ता ने बताया कि अनुपम गोयल जी ने हमारी फर्म को दिये गये नोटिस के निस्तारण के लिये रिश्वत राशि ली है। इसके बाद परिवादी द्वारा बतायी गयी वार्ता की ताईद आरोपी अनुपम गोयल द्वारा की गई। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वंतत्र गवाहान, डिटेन शुदा आरोपी मय स्टाफ के कमरा नम्बर 02 से रवाना होकर कमरा नम्बर 03 में पहुंचा। जहां पर आरोपी अनुपम गोयल द्वारा ईशारा कर अपने कार्य करने की टेबिल की ड्रोवर में रिश्वत राशि रखी होना बताया। इसके पश्चात गवाह श्री स्वतंत्र गवाह श्री यशवन्त सिंह, कनिष्ठ सहायक से आरोपी अनुपम गोयल के कार्यालय कक्ष में रखी टेबिल की ड्रोवर की तलाशी लिवायी गई तो उक्त ड्रोवर के अंदर एक कागज के उपर जिस पर श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद सवाई माधोपुर के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है, के उपर 500-500 रूपये के 20 नोट मुडी हुई अवस्था में मिले जिनको ड्रोबर से बाहर निकलवाकर उक्त गवाह से उक्त राषि को गिनवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये मिले, उक्त बरामद शुदा 10,000/-रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त नम्बरी राशि 10,000/- रुपये व उक्त कागज को बतौर सुरक्षा स्वतन्त्र गवाह श्री यशवन्त सिंह के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात श्री रामकेश कानि. 98 से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि मंगवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक मीणा वरिष्ठ सहायक से ट्रेप बौक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास निकलवाकर कार्यालय परिसर से पानी मंगवाकर उक्त डिस्पोजल गिलासों में गवाह श्री अभिषेक मीणा से पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी अनुपम गोयल के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH-1, RH-2 अंकित कर चिट व कपडे

पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी अनुपम गोयल के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात गवाह श्री यशवन्त सिंह के पास पूर्व में आरोपी अनुपम गोयल के कार्यालय कक्ष में रखी टेबिल की ड्रोवर में मिली रिश्वत राशि 10,000/- रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया गया तो 500-500 रूपये के 20 नोट अर्थात कुल 10,000/- रूपये होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया तो हुबहु वही नम्बरी नोट पाये गये। नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर बरामद शुदा नम्बरी 10,000 रुपये के नोटों को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण लिफाफे के उपर वर्णित कर उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर कर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें पानी भरवाकर उसमें गवाह श्री अभिषेक मीणा से उसके दोनो हाथ सावुन व पानी से साफ कराने के बाद थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में उक्त कागज जिसके उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त कागज को रूई के फोहे की सहायता से धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क D-1 व D-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया तत्पश्चात उक्त कागज पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवा कर उक्त कागज की फोटो प्रति करवाकर शामिल पत्रावली किया गया व कागज व रूई के फोहे को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क D अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉर्डर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी अनुपम गोयल उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर से परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता के कार्य कारण बताओ नोटिस से सम्बन्धित के बारे में पूछा तो आरोपी अनुपम गोयल ने बताया कि रामूलाल गुप्ता की खाद बीज की दुकान गंगा जी की कोठी के पास करौली रोड, गंगापुर सिटी में स्थित है। दिनांक 31.10.2025 को समय करीबन 5-6 पी.एम पर मैं व सहायक निदेशक कृषि विस्तार गोपाल लाल शर्मा व कृषि अधिकारी मुकेश यादव रामूलाल की फर्म जय हनुमान ट्रेडर्स का निरीक्षक करने गये थे। उक्त फर्म के निरीक्षण के दौरान कई सारी खामिया मिली थी, जिस बाबत मैने फर्म जय हनुमान ट्रेडर्स को कारण बताओं नोटिस जारी किया था। उक्त पत्रावली मेरे कार्य करने की टेबिल पर रखी हुई को आरोपी अनुपम गोयल द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष पेश की, जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली में कुल दस पृष्ठ है प्रथम पृष्ठ पर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) सवाई माधोपुर के कार्यालय पत्रांक एसपी-03 दिनांक 31.10.2025 द्वारा मैसर्स जय हनुमान ट्रेडर्स C/O रामू गोयल मिल्क डेयरी के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को अनुपम गोयल निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है तथा पृष्ठ संख्या 02 पर मै. जय हनुमान ट्रेडर्स के लेटर पेड पर श्रीमान बीज उर्वरक/कीट नाशक आत्मा, सवाई माधोपुर के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है एवं पृष्ठ संख्या 03 व 04 पर स्थान परिवर्तन के लिये आन लाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.09.2025 को करवा दिया गया है तथा पृष्ठ संख्या 05 पर मैसर्स जय हनुमान ट्रेडर्स का स्थान परिवर्तन का नक्शा लगा हुआ है एवं पृष्ठ संख्या 06 व 07 पर किराया नामा व 500 रूपये का स्टाम्प लगा हुआ है तथा पृष्ठ संख्या 08 लगायत 10 पर रामेश्वरी देवी पत्नि शिवचरण का शपथ पत्र लगा हुआ है। इसके पश्चात श्री अमर सिंह उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा सवाई माधोपुर को तलब कर उक्त पत्रावली की पेजिंग करवाकर फोटो प्रति करवाकर मूल पत्रावली व फोटो प्रति पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत होने पर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. ली गई एवं परिवादी का कार्य वाधित नही होने के कारण मूल पत्रावली जप्त नही की जाकर मूल पत्रावली श्री अमर सिंह उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब भी न्यायालय अथवा ए.सी.बी. तलब करे तो पेश करें। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी श्री अनुपम गोयल से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। आरोपी का स्थायी पता हिण्डोन सिटी जिला करौली का होने से श्री

जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष आरोपी के आवास की नियमानुसार खाना तलाशी हेतु निर्देशित किया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा से जरिये राजवीर सिंह कानि. 149 से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। इस समस्त कार्यवाही में धोवन की शिशीयों, रूही के फोहे व कागज के पैकेट व बरामद शुदा रिश्वती राशि आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की नमूना सील बिना नम्बरी का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। इसके बाद समय 06.30 पीएम पर आरोपी श्री अनुपम गोयल पुत्र श्री चतुर्भुज गोयल जाति महाजन, उम्र 37 वर्ष निवासी किषन नगर हिण्डोन सिटी जिला करौली हाल निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से मौके पर उपस्थित सहकर्मी श्री बालकिशन आंपरेटर को दी गई एवं परिजनों जरिये मोबाईल पृथक से दी गई। इसके बाद समय 04.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अनुपम गोयल उप परियोजना निदेशक आत्मा व जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्सों/सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी मोबाईल/बीडियो कैमरा आदि के जरिये प्राईवेट वाहनों के घटना स्थल रवाना होकर समय 07.05 पीएम पर वापस एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर आया, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिष्वत राषि, धोवन की सील्ड शीशीयों, पैकिट को जमा मालखाना जरिये कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 से करवाया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी अनुपम गोयल को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी अनुपम गोयल का कार्यालय स्टाफ के मार्फत सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर पर भैजकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। इसके बाद समय 08.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिषेक मीना वरिष्ठ सहायक व श्री यशवन्त सिंह कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री रामूलाल गुप्ता के सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.11.2025 के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी रामूलाल गुप्ता एवं आरोपी अनुपम गोयल उप परियोजना निदेशक आत्मा के मध्य दिनांक 11.11.2025 को रूवरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड सहित को कार्यालय कम्प्यूटर में लगाकर चलाकर सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर-01-251111-003 में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 श्री रामकेश कानि. 98 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री रामकेश कानि. 98 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव I BALL PENDENT16 जीबी मार्क-ए-1 न्यायालय प्रति एवं मुलजिम प्रति मार्क-ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क-ए-3 में डब करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की डब पैनड्राईवों की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्टर आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा डब पैनड्राईवो को कवर में सुरक्षित रख कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क ए-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके पश्चात दिनांक 12.11.2025 को समय 02.30 ए.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड जिसमें दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 11.11.2025 को परिवादी रामूलाल गुप्ता एवं आरोपी अनुपम गोयल उप परियोजना निदेशक आत्मा के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूवरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में कार्यालय कम्प्यूटर में लगाकर चलाकर सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर-02-251111-005 में रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 श्री रामकेश कानि. 98 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री रामकेश कानि. 98 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों I BALL PENDENT 16 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 में डब करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिरन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा डब पैनड्राईवो को कवर में सुरक्षित रख कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-बी-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क

बी-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर पिंरट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल एसडी कार्ड को कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-"बी" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये राजवीर सिंह कानि. 149 सरकारी मोबाईल में करवाई गई कार्यवाही सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि0 राजवीर सिंह 149 से डब करवाई जाकर डब पैनड्राईवो को अलग अलग कवरों में रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर मार्क-सी-1 न्यायालय प्रति व सी-2 मुल्जिम प्रति पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-सी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वक्त रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता एवं बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, एवं मूल एसडी कार्ड मार्क बी, एवं बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क सी-1 व सी-2 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद समय 06.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की बिना नम्बरी सील जिस पर ACD SWM लिखा हुआ है, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद 07.00 ए.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अनुपम गोयल पुत्र श्री चतुर्भुज गोयल जाति महाजन, उम्र 37 वर्ष निवासी किषन नगर हिण्डोन सिटी जिला करौली हाल निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया तथा दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री अनुपम गोयल हाल निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी परिवादी रामूलाल गुप्ता पुत्र शिवचरण लाल गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी उदेई मोड गंगापुर सिटी से उसकी माताजी के नाम रजिस्टर्ड फर्म जय हनुमान ट्रेडर्स के निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमीयों के सम्बन्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस का निस्तारण करने के लिये वक्त सत्यापन दिनांक 11.11.2025 को 10,000/- रूपये की मांग कर उक्त मांग के अनुसंरण में उसी दिन दिनांक 11.11.2025 को परिवादी को कार्यालय में अपने पास बुलाकर मांग कर 10,000/- रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त की गई जो उसके कार्यालय कक्ष कमरा नम्बर 03 उप. परियोजना निदेषक प्रथम में रखी टेबिल के ड्रोबर में से बरामद होना एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली उसके कब्जे से बरामद होना बरामद होना पाया गया है। उक्त मामले में परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के क्रम में सहायक निदेशक कृषि विस्तार गोपाल लाल शर्मा की भी भूमिका संदिग्ध है जिसकी वक्त अनुसंधान जांच की जावेगी।अतः श्री अनुपम गोयल पुत्र श्री चतुर्भुज गोयल जाति महाजन, उम्र 37 वर्ष निवासी किषन नगर हिण्डोन सिटी जिला करौली हाल निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (ज्ञान सिंह चैधरी)............... कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञान सिंह चौधरी अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अनुपम गोयल पुत्र श्री चतुर्भुज गोयल जाति महाजन, उम्र 37 वर्ष निवासी किशन नगर हिण्डोन सिटी जिला करौली हाल निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 251 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1670-73 दिनांक 13.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- आयुक्त कृषि, कृषि पंत भवन, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाईमाधोपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2025 1[illegible]5

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)